भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3206 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी

† 3206. श्री अरुण भारती :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरमाला नवोन्मेष और स्टार्टअप नीति के उद्देश्य क्या हैं और इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा देना है;

(ख) इस नीति के अंतर्गत कुल कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) इस नीति के अंतर्गत सामुद्रिक क्षेत्र में शुरू की गई नवोन्मेषी परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सागरमाला नवोन्मेष और स्टार्टअप नीति का विशेषकर बिहार में आर्थिक और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला स्टार्टअप नवोन्मेष पहल (एस212), जो कि मसौदा स्तर पर है, का उद्देश्य नवोन्मेष और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है ताकि समुद्री क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित की जा सके। यह पहल शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की अभिसारिता के बीच सहकारिता और सहयोग के लिए अपरिहार्य है और इसका उद्देश्य सतत प्रगति की ओर अग्रसर होने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रचालन, रखरखाव और अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में दक्षता में वृद्धि करने के संबंध में होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों को तलाशना है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि एस212 को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ): आशा की जाती है कि इस पहल के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप समुद्री क्षेत्र, बढ़ते रोजगार अवसरों, कम होती लॉजिस्टिक्स लागतों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में एक सुदृढ़ स्थिति के साथ अत्यधिक गतिशील और प्रौद्योगिकीयुक्त बनेगा।

***